

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2017 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए बनाम
तहसीलदार माण्डलगढ

1. गोपाल, पेमा पिता मांगीलाल
बोला दुर्गा लाल पिता भंवर लाल,
कमला बेवा भंवर लाल, चांदी,
शांति पुत्री मांगीलाल तम्बोली,
नाथूलाल पिता केशर लाल
दरोगा निवासी गेणोली तहसील
माण्डलगढ

-प्रार्थी

-विपक्षीगण

**कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत**

उपस्थित –

1. परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.05.2019

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि मौजा गेणोली तहसील माण्डलगढ ने राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010-12 के अनुसार आराजी नं. 168 रकबा 0.08 मंदिर /मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी गांगा वल्द सालगा 1/3, नारिया वल्द धूला 1/3, जानिया वल्द रूगनाथ कालू वल्द एकलिंग 1/3 हि.ब.ओड सा. ओडपुरिया मजरा देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ग्राम के नवीन बंदोबस्त में दौराने भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन आराजी नं. 113 कीता 1 रकबा 0.07 कायम कर मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, कालू वल्द नाथू भाट 1/6, नाथू वल्द केसा दरोगा 1/6 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज कर दी गयी। पूर्व बन्दोबस्ती रिकार्ड अनुसार स्पष्ट है कि यह भूमि मंदिर/मूर्ति की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसे नवीन बंदोबस्त रिकार्ड में भी उक्तानुसार भू प्रबन्ध अधिकारी को इन्द्राज करना चाहिए था जो नहीं करके अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम इन्द्राज किया जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त भूमि मूलतः मंदिर/मूर्ति की है जिसे सदैव अवयस्क माना गया है। जिसको किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम पर रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा यह इन्द्राज बिना किसी अधिकारों के नियमों के विपरीत किया गया है। वर्तमान चालू रिकार्ड की जमाबंदी संवत् 2071-2074 में अप्रार्थीगण श्री गोपाल पेमा पिता मांगी लाल बोला 1/3, दुर्गालाल पिता भंवर लाल कमला बेवा भंवर



लाल 1/6, दुर्गा लाल पिता भंवरलाल कमला बेवा भंवर लाल चांदी शान्ति पिता मांगी लाल तम्बोली 1/6, नाथू लाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम पर अवैधानिक रूप से खातेदारी हक के रूप में दर्ज हुयी है। अप्रार्थीगण के नाम यह भूमि विरासत/बेचान के फलस्वरूप दर्ज हुयी है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी नं. 113 कीता 1 रकबा 0.07 की भूमि अप्रार्थीगण के खाते से हटाये जाकर मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वजह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश नहीं। प्रार्थी की ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज पेश किये।

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में साबिक व हाल रिकार्ड के अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2010 से 2012 अनुसार आराजी सं. 168 कीता 1 रकबा 0.08 भूमि मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री गांगा वल्द सालगा 1/3, नारिया वल्द धूला 1/3, जानिया वल्द रूगनाथ कालू वल्द एकलिंग 1/3 हि.ब.ओड सा. ओडपुरिया मजरा देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

भूप्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा संवत् 2022 अनुसार ग्राम गेणोली अनुसार के साबिक खसरा नम्बर 168 रकबा 0.08 बीघा के हाल आराजी नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा बने है। जिसमें भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मंदिर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के बजाय मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, कालू वल्द नाथू भाट 1/6, नाथू वल्द केशा दरोगा 1/6 सा. माण्डलगढ के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबन्दी संवत् 2028 से 2032 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, कालू वल्द नाथू भाट 1/6, नाथू वल्द केशा दरोगा 1/6 सा. माण्डलगढ के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा को नामान्तरकरण सं. 262 दिनांक 17.11.1981 से बिकाव से कालू वल्द नाथू भाट के बजाय सहखातेदार नाथू वल्द केशा दरोगा साकिन माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया। इसके पश्चात् नामा सं. 766 दिनांक 27.06.2002 से विरासत से मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली के बजाय मोहनी बेवा मांगीलाल, भंवरलाल, जमना पिता मांगीलाल, कमला, चांदी, शान्ति पुत्रीयां मांगीलाल तम्बोली निवासी माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण सं. 823 दिनांक 07.01.2002 विरासत से मांगीलाल वल्द गांगा बोला के बजाय गोपाल, पेमा पिता मांगीलाल बोला के नाम दर्ज किया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 अनुसार खसरा नम्बर



113 रकबा 0.07 बीघा में मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, नाथूलाल पिता केशूलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ सा. देह एवं विरासत से मांगीलाल के बजाय मु. मोहनी बेवा मांगीलाल भंवरलाल जमना पिता मांगीलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल एवं इंतकाल नम्बर 823 दिनांक 7.10.2002 से मांगीलाल के बजाय गोपाल पेमा पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह भंवरलाल जमना पिता मांगीलाल, कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल मु. मोहनी बेवा मांगीलाल तम्बोली 1/3 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार एवं भंवरलाल के बजाय दुर्गालाल पिता भंवर लाल, कमला बेवा भंवरलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। जमना लाल के बजाय कमला , चांदी ,शान्ति पुत्रीयां मांगीलाल , मोहनी बेवा मांगीलाल के नाम विरासत नामा सं. 917 दिनांक 21.06.2004 से दर्ज करने की स्वीकृति दी गयी।


ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल 1/6, दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल मु. मोहनी बेवा मांगीलाल तम्बोली 1/6 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार एवं नामा. सं. 1263 दिनांक 20.02.2012 विरासत से मु. मोहनी बेवा मांगीलाल के बजाय दुर्गालाल पिता भंवरलाल कमला बेवा भंवरलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में भी गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल 1/6, दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल तम्बोली 1/6 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं—

46 (2) त — देवता के खातेदारी अधिकार— विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग—राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।



इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेंस प्रस्तुत करते हुए श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी संवत् 2010-2012 अनुसार आराजी सं. 168 रकबा 0.08 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव -

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के जमाबंदी संवत् 2010-2012 अनुसार खसरा नम्बर 168 कीता 3 रकबा 0.08 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी गांगा वल्द सालगा 1/3, नारिया वल्द धूला 1/3, जानिया वल्द रुगनाथ कालू वल्द एकलिंग 1/3 हि.ब.ओड सा. ओडपुरिया मजरा देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य के मिलान खसरा संवत् 2022 के साबिक आराजी नम्बर 168 रकबा 0.08 बीघा के हाल आराजी नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा बने जिसमें श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह का नाम हटाकर मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, कालू वल्द नाथू भाट 1/6, नाथू वल्द केशा दरोगा 1/6 सा. माण्डलगढ के नाम विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गयी। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ की जमाबंदी संवत् 2028-32 के खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 में उक्त भूमि मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली 1/3, कालू वल्द नाथू भाट 1/6, नाथू वल्द केशा दरोगा 1/6 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज की गयी। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा को नामान्तरकरण सं. 262 दिनांक 17.11.1981 से बिकाव से कालू वल्द नाथू भाट के बजाय सहखातेदार नाथू वल्द केशा दरोगा साकिन माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया। इसके पश्चात् नामा सं. 766 दिनांक 27.06.2002 से विरासत से मांगीलाल वल्द गणेश तम्बोली के बजाय मोहनी बेवा मांगीलाल , भंवरलाल, जमना पिता मांगीलाल , कमला, चांदी, शान्ति पुत्रीयां मांगीलाल तम्बोली निवासी माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण सं. 823 दिनांक 07.01.2002 विरासत से मांगीलाल वल्द गांगा बोला के बजाय गोपाल , पेमा पिता मांगीलाल बोला के नाम दर्ज किया गया।


ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में मांगीलाल वल्द गांगा बोला 1/3 सा. गेणोली, मांगीलाल वल्द

गणेश तम्बोली 1/3, नाथूलाल पिता केशूलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ सा. देह एवं विरासत से मांगीलाल के बजाय मु. मोहनी बेवा मांगीलाल भंवरलाल जमना पिता मांगीलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल एवं इंतकाल नम्बर 823 दिनांक 7.10.2002 से मांगीलाल के बजाय गोपाल पेमा पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह भंवरलाल जमना पिता मांगीलाल, कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल मु. मोहनी बेवा मांगीलाल तम्बोली 1/3 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार एवं भंवरलाल के बजाय दुर्गालाल पिता भंवर लाल, कमला बेवा भंवरलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। जमना लाल के बजाय कमला , चांदी ,शान्ति पुत्रीयां मांगीलाल , मोहनी बेवा मांगीलाल के नाम विरासज नामा0 सं. 917 दिनांक 21.06.2004 से दर्ज करने की स्वीकृति दी गयी।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल 1/6, दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल मु. मोहनी बेवा मांगीलाल तम्बोली 1/6 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार एवं नामा. सं. 1263 दिनांक 20.02.2012 विरासत से मु. मोहनी बेवा मांगीलाल के बजाय दुर्गालाल पिता भंवरलाल कमला बेवा भंवरलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 अनुसार खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा में भी गोपाल पेमा पिता मांगीलाल बोला 1/3 सा. देह दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल 1/6, दुर्गालाल पिता भंवरलाल, कमला बेवा भंवरलाल कमला चांदी शान्ति पिता मांगीलाल तम्बोली 1/6 नाथूलाल पिता केशरलाल दरोगा 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। इस प्रकार ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के साबिक खसरा नम्बर 168 कीता 3 रकबा 0.08 बीघा के हाल नम्बर 113 रकबा 0.07 बीघा जो श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुजारी के नाम विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षीगण खातेदार के नाम से हटाया जाकर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(भीलवाड़ा राज.)